

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-09/उपा०/बीज०निरीक्षक-27/12 1287 /क०, पटना, दिनांक 21-3-2016

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)।

सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी।

विषय :- नई बीज अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क में बढ़ोतरी के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधिसूचना संख्या-667 दिनांक-12.12.2014.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधिसूचना संख्या-667 दिनांक-12.12.2014 के द्वारा केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के अंतर्गत बीज नियंत्रण आदेश 1983 में संशोधन किया गया है, के आलोक में नई बीज अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति नवीकरण एवं विलम्ब की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क में निम्न रूप से बढ़ोतरी किया गया है:-

विवरण	पुराना शुल्क	नया शुल्क
नई बीज अनुज्ञप्ति	₹50/-	₹1000/-
अनुज्ञप्ति नवीकरण	₹20/-	₹500/-
विलम्ब शुल्क	₹25/-	₹500/-

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से नई बीज अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीकरण पर लागू होगा। सभी बीज अनुज्ञापन पदाधिकारी, बीज निरीक्षण पदाधिकारी एवं बीज बिक्रेता उक्त संशोधित आदेश का अनुपालन राज्य में करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,



(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दूरभाष सं०-0612-2215895 फैक्स नं०-0612-2204245

ज्ञापांक - 1287

/क०, पटना, दिनांक 21-3-, 2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1287

/क०, पटना, दिनांक 21-3-, 2016

प्रतिलिपि: संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)/उप कृषि निदेशक (मुख्यालय)/उप कृषि निदेशक (बीज)/उप कृषि निदेशक (फसल)/उप कृषि निदेशक (तेलहन)/उप कृषि निदेशक (बीज विश्लेषण)/उप कृषि निदेशक (बीज निरीक्षण)/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक/सभी बीज अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठान को सूचनार्थ प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1287

/क०, पटना, दिनांक 21-3-, 2016

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।